रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-838/2026/63/22-2-2026-17(585)/2024
लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टुनटुन उर्फ जय प्रकाश श्रीवास्तव (बन्दी संख्या-17369) पुत्र श्री रमाशंकर लाल, निवासी-ककरद, थाना-मड़िहान, जनपद- मीरजापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-54/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर के आदेश दिनांक 03.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष बंदी की अपील विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 06.01.2026 तक बंदी द्वारा अपरिहार 16 वर्ष, 01 माह, 09 दिन तथा 19 वर्ष, 09 माह, 08 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा, आयु 48 वर्ष लगभग होने एवं जेल आचरण अच्छा होने के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-838/2026/63(1)/22-2-2026 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।
3- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।